

कार्यालय- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जयपुर महानगर-द्वितीय

कमांक - 3351

दिनांक- 9/10/24

- संशोधित कार्यालय आदेश -

(रिमाण्ड कार्य/धारा 196 बीएनएसएस (176 द.प्र.सं.) ड्यूटी-अक्टूबर, 2024)

इस कार्यालय के पूर्व प्रसारित कार्यालय आदेश (रिमाण्ड ड्यूटी-अक्टूबर, 2024) कमांक 3039 दिनांक 30.09.2024 में आंशिक परिवर्तन करते हुए संशोधित आदेश निम्न प्रकार पारित किया जाता है कि -

1. उक्त कार्यालय आदेश द्वारा सुश्री लीमा यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट कम 07, जयपुर महानगर-द्वितीय की दिनांक 09.10.2024 से 11.10.2024 तक की अवधि में आवश्यक फौजदारी कार्यों (जिनमें जमानत, रिमाण्ड संबंधी कार्य, धारा 183 बीएनएसएस (धारा 164 द.प्र.सं.) के बयान, मृत्युकालिक कथन, धारा 196 बीएनएसएस (धारा 176 द.प्र.सं.) के तहत जांच एवं मृत्युकालीन समीक्षा संबंधी कार्य व अन्य आवश्यक फौजदारी कार्य होंगे) हेतु लगायी गयी रिजर्व रिमाण्ड ड्यूटी प्रशासनिक कारणों से निरस्त की जाती है।
2. उक्त कार्यालय आदेश में आंशिक संशोधन कर उक्त दिवस को आवश्यक फौजदारी कार्य हेतु रिजर्व रिमाण्ड ड्यूटी निम्नप्रकार लगायी जाती है।

क. सं.	दिनांक एवं ड्यूटी का प्रकार	नाम मजिस्ट्रेट न्यायालय जयपुर महानगर-द्वितीय न्यायक्षेत्र	पीठासीन अधिकारी व मोबाईल नम्बर
(1)	(2)	(4)	(5)
1	09.10.2024 से 11.10.2024 (रिजर्व रिमाण्ड ड्यूटी)	न्यायिक मजिस्ट्रेट कम 05, जयपुर महानगर-द्वितीय	श्री विजय कुमार, 9007993777

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जयपुर महानगर-द्वितीय

कमांक - 3352 to 3363

दिनांक - 09/10/2024

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है :-

1. श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, जयपुर महानगर-द्वितीय।
2. श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर।
3. श्रीमान सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर महानगर-द्वितीय।
4. श्रीमान पुलिस आयुक्त, जयपुर महानगर।
5. पुलिस उपायुक्त, जयपुर पश्चिम/उत्तर/मुख्यालय/यातायात, जयपुर महानगर।
6. न्यायिक मजिस्ट्रेट कम 05/07, जयपुर महानगर-द्वितीय
7. उप निदेशक, अभियोजन द्वितीय, जयपुर।
8. दी बार एसोसिएशन, बनीपार्क/कलेक्ट्रेट, जयपुर महानगर।
9. पुलिस कंट्रोल रूम, जयपुर को समस्त आरक्षी केंद्रों को सूचित करने हेतु।
10. नोटिस बोर्ड/कार्यालय आदेश पत्रावली/संबंधित पत्रावली/रक्षित पत्रावली।
11. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय, जयपुर महानगर द्वितीय को प्रतिलिपि प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश को जिला न्यायालय की साईट पर नियमानुसार अविलम्ब अपलोड किया जावे।
12. वरिष्ठ मुंसरिम, संस्थापन शाखा, जिला न्यायालय, जयपुर महानगर-द्वितीय।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जयपुर महानगर-द्वितीय